न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः–71/2019(जीसीएमएस नं. 2019/00304)

1. रफीक पुत्र श्री जगरुप जाति मेव,
2. मुनीरी स्त्री श्री जगरुप जाति मेव,
3. अतरी स्त्री श्री जगरुप जाति, मेव, निवासी ग्राम कुटियापुर, तहसील किशनगढ़बास, जिला अलवर।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. रहीमन स्त्री इसराईल जाति मेव, निवासी ग्राम बिलासपुर, तहसील तिजारा, जिला अलवर।
2. तहसीलदार किशनगढ़ बास, जिला अलवर।

––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–
1. **श्री विजय सिंह, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री श्यामबाबू पारीक एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 14.11.2022

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार किशनगढ़बास, जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनाँक 15.04.2019 के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि मृतक ढूकला की हिस्से व कब्जे की आराजी ग्राम कुटियापुर, तहसील किशनगढ़बास, जिला अलवर में स्थित थी एवं ढूकला के स्वर्गवास होने के बाद उसकी विरासत का इंतकाल सं. 494 रहीमन व उसकी पुत्री अनीशा के नाम दर्ज कर दिया तथा उक्त इंतकाल विवादित होने के कारण ग्राम पंचायत ने प्रकरण को निस्तारण हेतु तहसीलदार किशनगढ़बास के समक्ष को प्रेषित कर दिया एवं तहसीलदार किशनगढ़बास के समक्ष पक्षकारान उपस्थित हुए व तहसीलदार किशनगढ़बास के समक्ष ग्राम पंचायत बाघोड़ा ने अपनी रिपोर्ट दिनाँक 19.03.2014 में बताया कि रहीमन ढूकला की स्त्री थी, किन्तु रहीमन ढुकला के जीवित रहते इुए उसके जीवनकाल में ही ग्राम कुटियासर से चली गई तथा उसने बिलासपुर तहसील तिजारा में इसराईल से विवाह कर लिया एवं उक्त प्रकरण में रहीमन इसराईल की स्त्री होने के सम्बन्ध में उसकी वोटर लिस्ट पहचान पत्रादि दस्तावेज पेश किये जिस पर तहसीलदार किशनगढ़बास ने दिनाँक 21.09.2014 को ढूकला की विरासत का इंतकाल उसकी पुत्री अनीशा के नाम स्वीकार करने का आदेश पारित कर दिया। उक्त निर्णय के विरुद्ध रहीमन ने न्यायालय श्रीमान् में अपील दायर की, दौराने अपील अनीशा की मृत्यु हो गयी। रहीमन की ओर से अपील में अनीशा के वारिसान को रिकोर्ड पर लेने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश नहीं किया। न्यायालय श्रीमान् ने अनीशा का नाम हजफ कर दिया तथा अपील की

P.T.O.

सुनवाई कर प्रकरण तहसीलदार किशनगढ़बास को इस निर्देश के साथा प्रति–प्रेषित किया कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार मृतक ढूकला पुत्र सावला उर्फ कल्लू के विधिक वारिसान की जाँच कर नामांतरकरण की नियमानुसार कार्यवाही करें। यदि खातेदार का कोई वारिस ना हो तो ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी को कब्जेराज लिये जाने के संबंध में विधि सम्मत कार्यवाही करें।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार ने कार्यवाही शुरु की एवं तहसीलदार समक्ष ढूकला के भाई जगरुप ने स्वयं को ढूकला का वारिस बताते हुए पैरवी की एवं दौराने कार्यवाही जगरुप की दिनाँक 20.12.2018 को मृत्यु हो गयी, जिस पर अपीलांटान ने जगरुप के स्थान पक्षकार बनाये जाने का प्रार्थना–पत्र पेश किया और अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार के समक्ष दोनों पक्षों की ओर से साक्ष्य पेश किया गये, अपीलांट्स की ओर से रहीमन का परिवार सर्वे रजिस्टर, मतदाता सूची व आधार कार्ड की नकले पेश की गई जो सभी दस्तावेजात में रहीमन को इसराईल की स्त्री दर्शाया गया हैं। रेस्पोडेंट रहीमन की ओर से कोई दस्तावेजात पेश नहीं किया उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत उक्त साक्ष्य के बावजूद ढूकला की विरासत का इंतकाल रहीमन को ढूकला की स्त्री मानते हुए, रहीमन के नाम दर्ज किये जाने का आदेश विधि विरुद्ध पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य से यह तथ्य पूरी तरह साबित था कि रहीमन ढूकला के जीवनकाल में ही उसे छोड़कर चली गयी तथा रहीमन ने इसराईल निवासी ग्राम बिलासपुर, तहसील तिजारा से पुनर्विवाह कर लिया। रहीमन द्वारा पुनर्विवाह कर लेने की स्थिति में उसे ढूकला की आराजी में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.04.2019 पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में उत्तराधिकार विधि (हिन्दू एवं मुस्लिम) अधिनियम 1956 धारा 40 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार अगर कोई किसान बिना वसीयत किये मर जाता है तो उसके हित व्यक्तिगत कानून के मुताबिक उसके उत्तराधिकारियों को जावेगा। महबूब आलम बनाम रजिया बेगम (ए.आई. आर. 1950 लाहौर 12) मुस्लिम सुन्नी विधि में विरासत प्राप्ती के उत्तराधिकारी 1 अंश भागी उत्तराधिकारी में अ. पत्नी ब. पुत्री, पुत्री अनीशा की मृत्यु दिनाँक 17.08.2016 को हो चुकी हैं, अंकित किया गया हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने एक्ट सं. 30 का उल्लेख किया है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने हिन्दू एवं मुस्लिम दोनों का होना बताया है जबकि उक्त एक्ट केवल हिन्दूओं के उत्तराधिकार के संबंध में हैं। उक्त स्थिति से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने कानून के मंशा के विपरित जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रहीमन को इसराईल की स्त्री नहीं होने के संबंध में यह तर्क दिया है कि न्यायालय के समक्ष रहीमन का ढूकला से तलाक होने बाबत् कोई साक्ष्य पेश नहीं की हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट्स की ओर से जो दस्तावेज साक्ष्य पेश की थी, उससे रहीमन का इसराईल की स्त्री होना पूरी तरह साबित था। उक्त स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने रहीमन को ढूकला की स्त्री मानते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है। उन्होनें आगे कथन किया है कि ढूकला के मरने के बाद उसकी विरासत का इन्तकाल उसकी पुत्री अनीशा के नाम स्वीकार हो गया तथा अनीशा ने विरासत में मिली आराजी की वसीयत दिनाँक 30.04.2016 को जगरुप के हक में तहरीर की तथा अनीशा के मरने के बाद वसीयत के आधार पर जगरुप आराजी खातेदार हो गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जगरुप की ओर से पैरवी कर वकील साहब को अनीशा द्वारा जगरुप के हक में की गयी वसीयत की बाबत् बता दिया था तथा वकील साहब ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वसीयत पेश नहीं की गयी। ढूकला के मरने के बाद उसकी पुत्री अनीशा एक मात्र वारीस थी। अनीशा ने अपने जीवनकाल में उसे मिली आराजी की वसीयत अपीलांटान के पिता/पति को कर दी जिस स्थिति में उक्त आराजी के खातेदार अपीलांट हो गये। इस प्रकार अववादित आराजी का इन्तकाल वसीयत व उत्तराधिकारी होने के आधार पर अपीलांटान के नाम स्वीकार किया जाना न्याय संगत है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि इसके अतिरिक्त ढूकला के एकमात्र वारिसान अपीलांटान है। मृतक ढूकला जगरुप का सगा भाई था जिस स्थिति में ढूकला के मरने के बाद उसका भाई जगरुप था एवं जगरुप का स्वर्गवास हो चुका है, जिसके वारिसान अपीलांटान है जिस स्थिति में ढूकला की विरासत का इन्तकाल अपीलांटान के नाम स्वीकार किया जाना कानूनन न्याय संगत है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर नहीं अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलांटान ने अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध मुन्तकिली प्रार्थना–पत्र पेश भी पेश कर दिया था, जिस प्रार्थना–पत्र में अपीलांटान ने अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से रेस्पोडेन्ट का चैम्बर में मिलना तथा उसके द्वारा पीठासीन अधिकारी से अपने पक्ष में निर्णय कराने की ऐलानिया धमकी देने का उल्लेख किया था। उक्त प्रार्थना–पत्र में अपीलांट रफीक ने शपथ–पत्र प्रस्तुत किया था, जिससे यह स्पष्ट उल्लेख किया था कि उसने स्वयं ने रहीमन को पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में मुकदमे के सम्बन्ध में बात करते देखा हैं तथा पीठासीन अधिकारी ने रहीमन को उसके पक्ष में निर्णय करने का आश्वासन दे दिया है। मुंतकिली प्रार्थना–पत्र पर न्यायालय ने अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी से प्रार्थना–पत्र की पैरावाईज टिप्पणी मांगे जाने का आदेश दिनाँक 12.03.2019 को जारी कर दिया जो आदेश अपीलांट ने पीठासीन अधिकारी को दे दिया,

P.T.O.

किन्तु पीठासीन अधिकारी ने उक्त आदेश के बावजूद निर्णय कर दिया तथा निर्णय में प्रार्थना–पत्र का कोई उल्लेख नहीं किया। उससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पक्षपात करते हुए पारित किया हैं। जिस स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य हैं। अतः उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलांटान स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार किशनगढ़बास द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनाँक 15.04.2019 को निरस्त किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावें तथा मृतक ढूकला की आराजी विरासत का इंतकाल अपीलांटान के नाम स्वीकार किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि रहीमन का विवाह वादग्रस्त आराजी के मृतक खातेदार ढुकला से हुआ था तथा ढुकला के नुतफे से ही रहीमन के एक पुत्री पैदा हुई जिसका नाम अनिसा है इसलिये अपीलान्ट एवं अनिसा मृतक ढुकला के एकमात्र जायज वारिसान थे। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पति ढुकला की मृत्यु पश्चात् ढुकला का सगा भाई जगरूप रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के साथ अमानवीय व्यवहार करना शुरू कर दिया था इसलिये रेस्पोडेन्ट जगरूप की कुर्रता से परेशान थी और एक दिन जगरूप से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की पुत्री अनिसा को छिनकर घर से धक्के देकर निकाल दिया तब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपनी बहन अनसीरा के पास चली गई और महनत–मजदूरी करते हुये अपनी बहन अनसीरा के पास गुजर बसर कर रही थी तथा ढुकला की मृत्यु पश्चात् उसकी विरासत का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व उसकी पुत्री अनिसा के नाम भरा गया था किन्तु तहसीलदार किशनगगढबास द्वारा नामान्तरकरण केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की पुत्री अनीसा के नाम ही स्वीकार किया गया जिसकी अपील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा न्यायालय श्रीमान के समक्ष पूर्व में पेश की गई थी जिसे न्यायालय श्रीमान् द्वारा नामान्तरकरण संख्या 494 को अपास्त कर तहसीलदार को रिमाण्ड किया गया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की पुत्री का स्वर्गवास हो गया। ऐसी स्थिति में उक्त वादग्रस्त आराजी का नामान्तरकरण केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के ही हक में दर्ज होना कानूनन आवश्यक था जिस बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.04.2019 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि यह तथ्य निविर्वाद है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रहीमन वादग्रस्त आराजी के मृतक खातेदार ढुकला की पत्नी रही है तथा अपीलान्ट द्वारा उक्त रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रहीमन खातेदार ढुकला के जीवनकाल में ही अन्य व्यक्ति से विवाह करना अवगत करते हुए खातेदार ढुकला की आराजी पर स्वयं का उत्तराधिकार जताते हुए उक्त

आराजी पर अपनी उज्रदारी कर रहे है जबकि अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई भी साक्ष्य, सबूत या दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नही किया गया है जिससे यह साबित होता हो कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का वादग्रस्त आराजी के खातेदार ढुकला से कभी तलाक हुआ हो या मेहर इत्यादि दी गई हो। ऐसे में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रहीमन ही खातेदार ढुकला की पत्नी रही है। उक्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार किशनगढबास द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.04.2019 में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटी प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार किशनगढ़बास जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.04.2019 को यथावत रखा जाता है।

(अन्तरसिंह नेहरा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

14/11/22
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।